



**मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**  
**प्रधान कार्यालय 4 ए गोखले मार्ग**  
**लखनऊ**

पत्र संख्या ३। /म०प्र०(वित्त) /मविविनिलि/

दिनांक २४.८.२००९

मुख्य अभियंता (वितरण)  
 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
 बरेली / लखनऊ / फैजाबाद / लेसा।

**विषय:- विभिन्न कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय लिंकेज के संदर्भ में दिशा निर्देश।**


डिस्काम मुख्यालय स्तर पर आयोजित बैठकों में संज्ञान में आया है कि विभिन्न कार्यो हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज प्रदान किये जाने की प्रक्रिया में क्षेत्रीय अधिकारियों में भ्रान्ति दर्शनी हुयी है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित कराये जाने वाले/किये जा रहे विभिन्न कार्यो हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज के संदर्भ में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:-

- वार्षिक बिजनेस प्लान वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यो जिनका वित्त पोषण शासकीय अंश पूँजी से आदेशित है, उनके सम्पादन के लिये डिस्काम मुख्यालय स्तर से अलग से किसी प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज की आवश्यकता नहीं है। इन कार्यो का सम्पादन डिस्काम मुख्यालय के पत्रांक 7601/म०प्र०(तकनीकी) दिनांक 25.06.2009, पत्रांक 7616/म०प्र०(तकनीकी) दिनांक 15.07.2009 एवं पत्रांक 7620/म०प्र०(तकनीकी) दिनांक 17.07.2009 द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं अनुमन्य धनराशि के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से खीकृत पैकेज के अनुरूप पूर्ण किया जाना है।
- जिन कार्यो का वित्त पोषण शासकीय अंश पूँजी से आवरित नहीं है अर्थात् जिनके लिए वित्त पोषण की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से की जानी है, उनका मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से खीकृत पैकेज वित्तीय लिंकेज हेतु डिस्काम मुख्यालय को भेजा जायेगा तथा वित्तीय लिंकेज मिलने के उपरान्त ही कार्य का सम्पादन किया जायेगा।

वार्षिक बिजनेस प्लान वर्ष 2009-10 में अनुमोदित इन कार्यो के लिये अनुमन्य धनराशि के दृष्टिगत वित्त पोषण की व्यवस्था हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये मदवार वांछित धनराशि का प्रस्ताव महाप्रबन्धक (वित्त) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० से प्राप्त निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित मुख्य अभियंता वितरण क्षेत्र द्वारा डिस्काम मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

- जो कार्य वार्षिक बिजनेस प्लान में आवरित नहीं है लेकिन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, के अलग-अलग प्रस्ताव वरीयता के क्रम में कार्य का विवरण, अनुमानित लागत एवं पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करके प्रबन्ध निदेशक से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इन कार्यो के लिए भी मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से खीकृत पैकेज का वित्तीय लिंकेज डिस्काम मुख्यालय से प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

4. शासन द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लक्षित कार्य जिनका वित्त पोषण उस योजना के विरुद्ध शासन से प्राप्त धनराशि से किया जाना है, उनका सम्पादन भी शासकीय अंश पूँजी से पोषित कार्यों की भाँति क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से शासन द्वारा अनुमन्य/उपलब्ध धनराशि के दृष्टिगत अनुमोदित पैकेज के अनुरूप किया जायेगा। इनके लिये भी डिस्काम मुख्यालय से अलग से किसी प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय लिंकेज की आवश्यकता नहीं है।
5. दैवी-आपदा से क्षतिग्रस्त लाइनों विद्युत उपकेन्द्रों एवं अन्य उपकरणों की पुनरस्थापना/मरम्मत हेतु क्षति का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी से कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी स्तर से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों एवं उपकेन्द्रों तथा अन्य उपकरणों की पुनरस्थापना/मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि की माँग राहत-आयुक्त, उ0प्र0 शासन को प्रेषित कराते हुये उसकी एक प्रति सहित पुनरस्थापना/मरम्मत सम्बन्धी मुख्य अभियंता (वितरण) स्तर से स्वीकृत प्राकलन एवं पैकेज वित्तीय लिंकेज हेतु डिस्काम मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा ताकि धन की उपलब्धता के अनुरूप वित्तीय लिंकेज डिस्काम मुख्यालय स्तर से प्रदान किया जा सके।

  
 (मुवनेश कुमार)  
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्या /म0प्र0(वित्त)/ मविविनिलि / तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी निदेशक, मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
2. समरत अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण/कार्य/भण्डार/जानपद मण्डल मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0,

  
 (मुवनेश कुमार)  
प्रबन्ध निदेशक